अतिआवश्यक /राजस्व न्यायालयों में
राजकीय अभिभाषक नियुक्ति

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक : प0 5(1)राज–1/2014 जयपुर, दिनांक : 13.02.2019

1. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान
2. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान
3. समस्त राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्थान

विषय : राजस्व न्यायालयों में सरकारी प्रकरणों की पैरवी हेतु राजकीय अभिभाषको की नियुक्ति हेतु पैनल भिजवाने के संबंध में

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य के समस्त संभागीय/अति. संभागीय आयुक्त न्यायालयों, राजस्व अपील प्राधिकारी/भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन्न राजस्व अपील न्यायालयों तथा जिला कलक्टर/अति0 जिला कलक्टर न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु इस विभाग के आदेश क्रमांक प.5(16)राज–1/88 दिनांक 20.06.1990 के अन्तर्गत राजकीय अभिभाषकों की नियुक्ति की जानी है।

अतः कृपया आपके न्यायालयों में विचाराधीन राजस्व प्रकरणों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए राजकीय अभिभाषकों की नियुक्ति किये जाने हेतु इच्छुक अभिभाषको से प्रार्थना पत्र **दिनांक 26.02.2019 तक प्राप्त किये जा कर पैनल इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।**

प्रत्येक न्यायालय के लिए अलग–अलग पैनल निम्नांकित प्रपत्र में भिजवाये जावें:–

प्रपत्र

क्र.सं.	नाम अभिभाषक	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	अभिभाषक के रूप में पंजीकरण का दिनांक व क्रमांक	कार्य अनुभव	विशेष विवरण	ई–मेल एवं मोबाइल न0
1	2	3	4	5	6	7	8

भवदीय

(शक्ति सिंह राठौड)
संयुक्त शासन सचिव